

29.9.22 पत्रावली पत्रा। प्रार्थना एवं कीर्तन उद्योग।
युक्त बाद पत्र विस्तारित हो चुका है। (पत्र)
स्थिति में इस प्रार्थना पत्रकी कोई आवश्यकता
नहीं रहती है। अतः यह प्रार्थना पत्र
समाप्त होने पर इसी तरह का खारिज
विद्या जाता है। पूर्व में जारी अंतरिम
आस्थाई निषेधाज्ञा खारिज की जाती है।
पत्रावली बाद करीब तुरन्त होकर खारिज
होए।

प्रतिवासा

(R.A.S.)

सुपखण्ड अधिकारी
घड़साना